



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230869  
CG-DL-E-01112021-230869

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4199]  
No. 4199]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

कृषि और कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4560(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1 (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण सांतवा संशोधन आदेश, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2 उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची 1 के भाग -क में, शीर्षक "उर्वरक की विशिष्टताएं" के अधीन, - "फायदाप्रद अवयव उर्वरक" से संबंधित उप शीर्षक के अधीन सोडियम सिलिकेट द्रव से संबंधित क्रम सख्यांक 3 में-

1 मद (ii) में "न्यूनतम" शब्द के स्थान पर "अधिकतम" शब्द रखा जाएगा।

2 मद (iii) में "1.3"अंकों के स्थान पर "1.3-1.4" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2-3/2021-उर्वरक विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 3901(अ) तारीख 21 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

**ORDER**

New Delhi, the 1st November, 2021

**S.O. 4560(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following (Order further to amend the Fertiliser(Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Seventh (Amendment) Order, 2021.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, in Schedule-I, in Part-A, under the heading “SPECIATIONS OF FERTILIZERS”, under the sub- heading relating to “1(j) Beneficial Element Fertilizer” in serial number 3 relating to sodium silicate (liquid), -
  - (i) in item (ii), for the word “minimum”, the word “maximum” shall be substituted ;
  - (ii) against item (iii), for the figures “1.3”, the figures “ 1.3-1.4” shall be substituted

[F. No. 2-3/2021Fert. Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India *vide* notification number G.S. R. 758(E) dated the 25<sup>th</sup> September, 1985 and was last amended *vide* number S.O. 3901(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2021.